

56

# न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म०प्र०)

निग. 420-III/2010



श्रीमती संगीता अग्रवाल पत्नी मनोज कुमार अग्रवाल निवासी जगतदेव  
तालाब रोड़ सतना तह०रघु०नगर जिला सतना म०प्र०-----निगराकार

## बनाम

- 01-शासन म०प्र०द्वारा जिलाध्यक्ष महोदय सतना जिला सतना म०प्र०,  
02-नजूल अधिकारी महोदय जिला सतना म०प्र०-----गैर निगराकारगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय आयुक्त  
रीवा संभाग रीवा

प्रकरण क्रमांक-6/पुर्नस्थापना/09-10

आदेश दिनांक 10.12.09

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०

भू०रा०सं०-1959

मान्यवर,

निगराकार निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :-

## प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि निगराकार द्वारा मूल प्रकरण क्रमांक-343/अपील/04-05  
पारित अदम पैरवी आदेश दिनांक 15.09.09 को पुर्नस्थापित किये जाने  
हेतु आवेदन पत्र संहिता की धारा 35(3) सहपठित धारा 35 के अन्तर्गत  
दिनांक 24.09.09 को प्रस्तुत किया।

निगराकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया  
गया कि मूल प्रकरण दिनांक 15.09.09 को अदम पैरवी में पक्षकार व  
अधिवक्ता की अवपस्थिति में निरस्त किया गया है क्योंकि मूल प्रकरण

के.सोनी  
रा.पु.दु.वा.  
26/03/10  
9

84  
पोस्ट द्वारा आज  
3-4-10 को प्राप्त  
ऑफिस कोर्ट  
मण्डल अ.प्र. ग्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आदेश पृष्ठ  
भाग - अ

प्रकरण क्रमांक -निग0 420/तीन/2010 संगीता/शासन जिला-सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-5-2015	<p>आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक को कई बार सूचना दी गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं रहे। प्रकरण वर्ष 2010 से लंबित है। आवेदक एवं उनके अभिभाषक दिनांक 26.07.2010 से प्रकरण में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण के संचालन में रूचि नहीं है। दर्शित परिस्थिति में प्रकरण रूचि न लेने से समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">सर्वेय</p>	